कार्यवृत्त

सोमवार, 25 फाल्गुन, शक संवत्, 1936

(दिनांक 16 मार्च, 2015 ई0)

खण्ड–42
अंक–4

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी सदस्य प्रदेश में हो रही खराब कानून व्यवस्था पर नियम–310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न काल होने दें। प्रश्न काल के बाद वे इस विषय का संज्ञान लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस पर सभा के मा0 सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये उत्तर दिए गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 के उत्तर से असन्तुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त 15 सूचनाओं में से निम्नांकित विषयों पर 07 सूचनाएं स्वीकृत हुईं एवं पढ़ी हुई मानी गईं:–

1. श्री चन्द्र शेखर	विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्राम लालवाला मजबता रा0उ0मा0 विद्यालय में छात्र–छात्राओं के बैठने के लिए फर्नीचर आदि की व्यवस्था न होने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में।
2. श्री पूरन सिंह फर्त्याल	जनपद चम्पावत में विद्युत की व्यवस्था को ठीक करने के लिए लोहाघाट में 132 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किये जाने के संबंध में।
3. श्री प्रेम सिंह राणा	जनपद उधमसिंह नगर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों को वन विभाग के द्वारा हक–हकूक अन्तर्गत इमारती लकड़ी की सुविधा बन्द होने से उत्पन्न आक्रोश के संबंध में।
4. श्री पुष्कर सिंह धामी	जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत सीमान्त क्षेत्र खटीमा में नगर पालिका का सीमा विस्तार न होने से व्याप्त असन्तोष के संबंध में।
5. श्री दान सिंह भण्डारी	जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत उडवा गांव में झूला पुल का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

6. श्री हरबंस कपूर	देहरादून के महानगर क्षेत्र में सीवर लाईन विछाये जाने और क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार न कराये जाने के संबंध में।
7. श्री दलीप सिंह रावत	विधान सभा क्षेत्र लैंसडौन के अन्तर्गत विगत वर्ष पॉलीटैक्निक संस्थान की घोषणा होने तथा ग्राम बडखेत में भूमि चयनित होने पर भी कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि कानून व्यवस्था से सम्बन्धित नियम–310 की सूचना जो प्राप्त हुई है उसी विषय से सम्बन्धित श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की भी सूचना प्राप्त हुई है अतः वे इस विषय को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

इस पर नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नियम–310 में दी गई सूचना का संज्ञान लेने के लिए नारेबाजी करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–310 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री यतीश्वरानन्द, श्री दलीप सिंह रावत, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर एवं श्री संजय गुप्ता की है, जो प्रदेश में हो रही खराब कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डेय की है, जो गदरपुर चीनी मिल को बन्द करने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी की है, जो गुलदार के आतंक से एफ0आर0आई0 में 18 वर्षीय किशोरी की आकस्मिक मृत्यु के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वे प्राप्त तीन सूचनाओं में से पहली और तीसरी सूचना जो नियम–58 के अन्तर्गत भी दी गई हैं अतः इस विषय पर वे ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

व्यवधान के मध्य वित्त मंत्री ने ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243–झ(4) एवं अनुच्छेद 243–म(2) के अधीन तृतीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) (2011–2016) के प्रतिवेदन में अन्य संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन सदन के पटल पर रखा।

व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2014 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बादामवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री आबिद, निवासी ग्राम पंचायत बादामवाला, पो0ओ0 आम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बुलाकीवाला में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री आबिद, निवासी ग्राम पंचायत बुलाकीवाला, पो0ओ0 आम्बाड़ी, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत एटनबाग में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अरूण कुमार, निवासी ग्राम पंचायत एटनबाग, पो0ओ0 हरबर्टपुर, तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून की विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नवाबगढ़ में पक्के शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री वशीर अहमद, निवासी ग्राम पंचायत नवाबगढ़, पो0ओ0 व तहसील विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा खुनौली, भतौड़ा, ग्वाड भिल्कोट और बिलाड़ी में ए0एन0एम0 सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में'' श्रीमती कला देवी, निवासी ग्राम खुनौली, पो0 भतौड़ा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा पल्सों में गैस गोदाम की स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा खुनौली भतौड़ा, ग्वाड़ भिल्कोट और बिलाड़ी में चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती नीलम उपाध्याय, ग्राम भतौड़ा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा पल्सों से मल्ला अनगड़ी, गापानी मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में'' श्री हरि मोहन सिंह, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा मण्डलसेरा धिरौली, लामरा, भाटनीकोट बनडुबरा से कभडेत तक मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा ग्वाड़ भिलकोट से खोलिया गांव व ग्राम सभा चौंरा तक मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में'' श्री भोपाल सिंह डसीला, निवासी ग्राम पल्सों पो0 चौंरा जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा गडुवासिरमोली से भाटागाड़, नायल उप्रेती से रनकाना तक मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के ग्राम सभा भैरूचौबट्टा में पेयजल आपूर्ति हेतु पेयजल योजना की स्वीकृति कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के रा0इ0का0 खुनौली में लम्बे समये से प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के पदों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा पल्सों से ग्राम सभा चौंरा को जोड़ने हेतु पुंगर नदी में खिनघाट स्थित स्थान पर झूला पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा चौंरा (दुग) में जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा खुल्दौड़ी के काखीधार से खुल्दौड़ी तक मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में'' श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व पो0 दोफाड़, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सातचौंरा के छीड़िया गधेरे से ग्राम सभा नाघर साहू, मयूं ईड़ा से भेरूचौबट्टा मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में'' श्री हरिमोहन सिंह, निवासी ग्राम अनगड़ी प्लसों व पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा पपों के तोक रताईस से तल्ला गापानी, मल्ला गपानी से कमेट पानी में मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में" श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा चौंरा में स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक की स्थायी नियुक्ति के सम्बन्ध में" श्री भगवत सिंह डसीला, निवासी ग्राम अनगड़ी, पल्सों पो0 चौंरा, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम सभा खुल्दौड़ी से बुलदौड़ी, काकड़ीगैर, चिडंग, बिजोरिया, गाजली, क्लाग तक मोटर मार्ग मिलान के सम्बन्ध में" श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व पो0 दोफाड़, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासी गण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 12 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की गई।

01 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का समय 3:00 बजे तक बढ़ा दिया है।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व अन्य साथियों द्वारा दी गई नियम–310 की सूचना को नियम–58 पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय सदस्यों द्वारा समय–समय पर उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के अधीन नियम–310 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों को सदन के समक्ष उठाया जाता है। यह नियम सदन के कार्य को प्रभावित करने वाले सभी नियमों में से संभवतः सबसे प्रभावशाली एवं गम्भीर प्रकृति का नियम है। इसमें नियमों को विलम्बित कर किसी विषय को उठाने का प्रावधान है तथा यह प्रावधान इसलिये किया गया है कि माननीय सदस्यों को अति महत्वपूर्ण तथा आपवादिक विषयों को सदन में उठाने का साधन प्राप्त हो सके।

किन्तु, प्रायः यह देखने में आ रहा है कि माननीय सदस्यगण नियमित रूप से ऐसे विषयों को भी नियम–310 के अन्तर्गत उठा रहे हैं जो कि नियम 310 के स्थान पर ऐसे विषय हैं जो हमारी कार्य प्रक्रिया संचालन नियमावली के अन्य नियमों के अधीन उठा कर उन पर सार्थक ध्यानाकर्षण अथवा चर्चा हो सकती है। कार्य संचालन नियमावली तथा अध्यक्ष के निदेशों के अन्तर्गत अनेक ऐसे साधन हैं जिनके अन्तर्गत नियमित प्रकृति के विषय उठाये जा सकते हैं। इनको नियम–310 के अन्तर्गत उठाने से सदन के महत्वपूर्ण समय का ह्रास होता है। नियमावली के संबंधित नियमों का प्रयोग न होने के कारण विषय का निष्पादन नियमानुसार गंतव्य को प्राप्त नहीं हो पाता है तथा नियम–310 की गम्भीरता तथा आपवादिक प्रयोग विधि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। अतः नियम –310 की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए इसके अन्तर्गत नियम की गरिमा, गम्भीरता, विशेषता तथा आपवादिकता

के अनुसार ही विषय उठाये जायें ताकि हमारे इस सम्मानित सदन की गरिमा को हम सब मिलकर अक्षुण्ण बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें।

सरकार से भी यह अपेक्षा है कि अन्य नियमों के अन्तर्गत उठाये गये विषयों के उत्तर व्यापक परिपेक्ष्य में दिये जाएं, विशेषकर नियम–58 की गम्भीरता को देखते हुए उत्तर इस प्रकार दिये जाएं कि विषय का सारगर्भित रूप से माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विषय के संदर्भ में समुचित व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए निस्तारण हो सके।

अतः वे नियम–310 की सभी सूचनाओं को निरस्त करते है।

श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा ने विशेषाधिकार की सूचना देते हुए कहा कि आबकारी नीति पर सरकार द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से सुझाव मांगे गये है जबकि सदन चल रहा है। अतः इस विषय पर चर्चा सदन में होनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अस्वीकार किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आमोद और पणकर अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

कृषि एव प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

कृषि एव प्रौद्योगिकी मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 मार्च, 2015 की बैठक में दिनांक 16 मार्च, 2015 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2015

16 सोमवार

1. विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड गो वंश संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

3. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

4. उत्तराखण्ड जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

5. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

2. <u>निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :–</u>

1. श्री महावीर सिंह रांगड़ ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के 1065 गैर आबाद ग्रामों को पुनः आबाद करने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने के लिए समयबद्ध योजना बना कर क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।'

2. श्री चन्दन राम दास, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि गंगा सफाई अभियान की तरह उत्तराखण्ड की काशी बागेश्वर की प्रसिद्ध नदी सरयू व गोमती को स्वच्छ निर्मल बनाये जाने के लिये सरकार योजना बनाकर प्रयास सुनिश्चित करें।''

3. श्रीमती विजय बड़थ्वाल, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के गांवों जिनमें उत्तराखण्डवासियों की जनसंख्या अधिक हो, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर दिये जायें।''

4. श्री बिशन सिंह चुफाल, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में बन्दरों की जनसंख्या को कम करने के लिए एक अलग से नीति बनायी जाये।''

5. श्री मदन कौशिक, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रभावी नीति हेतु इस सदन की समिति बनायी जाये।''

3. <u>नियम–105 के प्रस्ताव</u>

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरणः–

''यह सदन भारत सरकार से प्रस्ताव करता है कि मध्याह्न भोजन में व्याप्त अनियमितताओं एवं अव्यवहारिकता को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के स्थान पर किसी अन्य योजना को लागू करने पर विचार करें। ''

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना किसानों को गन्ना का उचित मूल्य एवं गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान को सुनिश्चित करने कि लिये विधान सभा के सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाय जो एक निश्चित समय में अपनी रिपोर्ट देगी।''

4. <u>नियम–54 की सूचना</u>

1. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर प्रस्तुतीकरणः–

''उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कह कर लम्बित रखा जा रहा है कि योजना आयोग, भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है, तथा राज्य सरकार द्वारा ''जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।''

2. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर प्रस्तुतीकरणः–

''प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाय जो निश्चित समय के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी''

3. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर प्रस्तुतीकरणः–

''प्रदेश में आई भीषण आपदा के बाद प्रदेश की चार धाम यात्रा में घटती यात्रियों की संख्या एवं पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के घटते आकर्षण के दृष्टिगत प्रदेश में यात्रियों को आकर्षित करने तथा देश की जनता का प्रदेश के प्रति घटते विश्वास को प्राप्त करने के लिये एक कार्ययोजना बनायी जाय''

4. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर प्रस्तुतीकरणः–

''प्रदेश के धार्मिक महत्व को देखते हुए प्रदेश में किसी धार्मिक उद्देश्य से बनाये गये ट्रस्ट/सोसाईटी अथवा समिति द्वारा चलाये जा रहे मठ/मन्दिर/आश्रम पर राज्य सरकार द्वारा पानी/बिजली/सीवरेज/हाउस टैक्स आदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाय।''

(शेष कार्यक्रम यथावत्)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सदस्य प्रेम चन्द्र अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय 5 में राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन का समय निर्धारित है, जबकि एक ही दिन में समाप्त कर, बहुत से सदस्य भाग लेने से वंचित रह गये। जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस विषय पर कार्य मंत्रणा समिति में समय निर्धारित किया गया था, उसी के अनुसार यह निर्णय लिया गया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई।

जनपद अल्मोड़ा के पनुवोद्योखन जिला पंचायत सदस्य पर प्राण घातक हमला कराये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री सुरेन्द्र सिंह जीना व नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किये। नेता सदन को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में वर्ष 2012 से पूर्व स्वीकृत सड़कों के वन भूमि प्रस्ताव न भेजे जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री विशन सिंह चुफाल ने अपने विचार व्यक्त किये। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2015–2016 का आय–व्ययक प्रस्तुत किया।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत एफ0आर0आई0 परिक्षेत्र में गुलदार द्वारा बालिका की हत्या से फैले आतंक विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री हरबंस कपूर व श्री गणेश जोशी ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 वन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मलेरिया निरोधक कर्मचारियों (एम0पी0डब्ल्यू0) की सेवाए समाप्त कराये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री दलीप सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 स्वास्थ्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

गोविन्द बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में चार वर्षो से स्थायी कुलपति की नियुक्ति विषयक सूचना की ग्राह्यता पर श्री राजेश शुक्ला ने अपने विचार व्यक्त किये। मा0 कृषि मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सूचना को अग्राह्य किया।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि कार्यसूची की अन्य मदों को कल सुन लिया जायेगा।

सदन की कार्यवाही 07 बजकर 18 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल
अध्यक्ष,
विधान सभा।